निर्णय ब इजलास अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. हरलाल गुर्जर पुत्र स्व॰ श्री इन्दर राम गुर्जर
2. श्रीमती कान्ता गुर्जर पत्नी श्री हरलाल गुर्जर

समस्त जातियान गुर्जर, निवासियान प्लाट नं॰ 11, देवराज नगर–द्वितीय, मदरामपुरा, पुलिस थाना मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राहुल गुर्जर पुत्र श्री हरलाल गुर्जर
2. श्रीमती ममता बैरवा पत्नी श्री राहुल गुर्जर

समस्त, निवासियान प्लाट नं॰ 11, देवराज नगर–द्वितीय, मदरामपुरा, पुलिस थाना मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 12.03.2021 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, प्रकरण संख्या 01/2021 ब उनवानी हरलाल गुर्जर बनाम राहुल गुर्जर ।

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 06.09.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 01/2021 ब उनवानी हरलाल गुर्जर व अन्य बनाम राहुल गुर्जर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2021 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।
4. अपीलार्थीगण ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी संख्या एक वरिष्ठ नागरिक है तथा सेवा निवृत्त राजकीय कर्मचारी है। वर्तमान में राज्य सरकार से 2500/– रूपये प्रति माह पेंशन राशि मिल रही है । अपीलाथी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण से जान माल का खतरा उत्पन्न होने तथा प्रत्यर्थीगण से भयभीत होने का कथन करते हुये प्रत्यर्थी संख्या 2 को मकान से बेदखल नहीं किया गया तो प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल कर देंगे व अपीलार्थीगण की जानमाल का नुकसान पहुंचा सकते है तथा अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 2 एस टी, एस सी व दहेज के झूंठे मुकदमे में फंसा सकती है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण से अपीलार्थीगण की स्व अर्जित रिहायशी सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया था। ताकि अपीलार्थीगण बाकी जीवन शान्ती के साथ गुजार सके, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने दिनांक 12.03.2021 को वादीगण अपीलार्थीगण ने मौखिक कहा कि अगर प्रत्यर्थीगण दुर्व्यवहार गाली गलौच नहीं करते है तथा शान्ति पूर्वक घर मे निवास करते है तो वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रत्यर्थीगण ने मौखिक रूप से भरण पोषण की मांग की है। इस आधार पर अपीलार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र परिवाद अन्तर्गत धारा 5 आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 राहुल गुर्जर पुत्र हरलाल गुर्जर को प्रति माह 2500/– रूपये बतौर भरण पोषण प्रत्येक माह की दस तारीख तक जरिये चैक बैंक में जमा करायें साथ ही प्रत्यर्थीगण को पावन्द किया जाता है कि हारी बीमारी में अपीलार्थीगण की देखभाल करेंगे । प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार गाली गलौच व मारपीट ना करें और ना ही किसी से कराये जाने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 12.03.2021 मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में परिवाद की मद संख्या 10 में वर्णित तथ्य व परिवाद प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष की उपेक्षा करते हुए उक्त अलौच्य आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 12.03.2021 की अनुपालना के लिए दिनांक 21.04.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.06.2022 नियत थी। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थीगण को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जारी नोटिस की तामील होने के बावजूद भी आज दिनांक तक प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 12.03.2021 की पालना नहीं की है तथा अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के द्वारा दिनांक 21.05.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 1 राहुल द्वारा शराब पीकर आना और अपीलार्थीगण के साथ गाली गलौच व धक्का मुक्की करना व जान से मारने की धमकी देने से प्रत्यर्थीगण के उक्त कृत्य से अपीलार्थीगण के समक्ष जान माल का खतरा उत्पन्न होने के संबंध में पुलिस थाना मुहाना मे दिनांक 25.05.2022 को शिकायत पत्र/रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे पुलिस हाजा द्वारा अनुसंधान जारी है। प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण द्वार पारित आदेश दिनांक 12.03.2021 में जारी भरण पोषण राशि 2500/– रूपये प्रति माह में कुल 7500/–रूपये अदा किये है। शेष राशि आज दिनांक तक अदा नहीं की गई है। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के स्व अर्जित मकान से बेदखल करने का निवेदन किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय से परिवादीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने के अनुतोष की उपेक्षा कर उक्त अपूर्ण आलौच्य आदेश दिनांक 12.03.20221 जारी किया है जो निरस्तनीय है। आज भी प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण के साथ दुर्व्यहार, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी व प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण को एस सी एस टी व दहेज के मुंकदमें में फंसाने की लगातार धमकियां दे रहे है । प्रत्यर्थीगण के द्वारा निरन्त किये जा रहे उक्त कृत्यो के कारण अपीलार्थीण के समक्ष जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है । यदि प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के स्व अर्जित मकान से बेदखल नही किया गया तो अपीलार्थीगण के साथ कोई भी

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

अप्रिय दुर्घटना या संगीन वारदात घटित हो सकती है तथा अपीलार्थीगण को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थीगण को बेदखल किया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है ताकि अपीलार्थीगण अपना शेष जीवन सुखमय, शान्तीपूर्वक व गरीमा के साथ जीवन यापन कर सके। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आलीच्य आदेश दिनांक 12.03.2021 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध तथा विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 12.03.2021 की सत्यप्रति दिनांक 10.06.2022 को ही प्राप्त हुई जिससे अपील अन्दर मियाद है, जिसके लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है । अतः विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश दिनांक 12.03.2021 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण के स्व अर्जित मकान से प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलार्थी की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. सर्वप्रथम हम अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति मकान मकान नम्बर 11 देवराज नगर द्वितीय मदरामपुरा पुलिस थाना मुहाना तहसील सांगानेर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है– "किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने कर्तव्य होगा।" इस सम्बन्ध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने पर हम इस मामले में अपीलार्थीगण के जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा के कर्तव्य को मध्य नजर रखते हुये इस बिन्दू पर पक्षकारान को पुनः सुन कर मामले का निस्तारण करने के लिए प्रकरण अधीनस्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है ।

8. माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 12.03.2021 को भरण पोषण की राशि की हद तक यथावत रखते हुये शेष आदेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण की स्व अर्जित सम्पत्ति की सुरक्षार्थ प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के मकान से बेदखली के बिन्दू पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर तदनुसार नये सिरे से निर्णत पारित किया जावे।

9. आदेश की प्रति हरव कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

10. निणर्य आज दिनांक 06.09.2022 सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर